10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

45

माननीय न्यायालय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017 जिला शाजापुर
PBR|निगरानी|शाजापुर|भू.रा.|2017|3214

दिनांक 8-9-17 को श्री ओ.पी. शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत/
8-9-17
SO

1— सत्यप्रकाश पुत्र श्री गिरीराजकिशोर

2— संजय पुत्र श्री गिरीराजकिशोर

3— गुड्डू उर्फ अरूण पुत्र गिरीराजकिशोर

निवासीगण — कालापीपी मण्डी तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म0प्र0)

——प्रार्थीगण

बनाम

शशीबाई पत्नी श्री रामजीलाल पुत्री शिवप्रसाद, निवासीगण — कालापीपी मण्डी तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म0प्र0)

——प्रतिप्रार्थी

O.P. Sharma
08-09-2017

13.09.17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 09.08.2017 द्वारा पारित श्रीमान् तहसीलदार, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 06/अ—70/2016—17 के तहत।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः—

1. यहकि, श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर के समक्ष प्रतिप्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 250 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के तहत अवधि वाहय एवं अवैध बंटाकन/सीमांकन के आधार पर प्रचलन योग्य न होने के कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

(45)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2018/3214

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य (45)	